

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004

क्रमांक PAG(AU)TS/ ISW/FNo.17/अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान/ दिनांक: 13-07-2026

GeM में नीलामी के लिए बोलियाँ आमंत्रित करने की सूचना

विषय: अनुपयोगी आईटी परिसंपत्तियों और ई-कचरा मर्दों के निपटान हेतु जेम (GeM) पर नीलामी के लिए बोलियाँ आमंत्रित करने के संबंध में सूचना।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (भारत सरकार / राज्य सरकार से अनुमोदित) के साथ रजिस्टर्ड अधिकृत/रजिस्टर्ड ई-कचरा रीसाइकलर्स/ई-वेस्ट के प्री-प्रोसेसर्स से, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, UPS एवं इसके संबद्ध उपकरण (पेरिफेरल्स), फोटोकॉपियर, इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल आइटम्स वगैरह जैसा कि "Annexure-II" में बताया गया है, बेकार/अनुपयोगी ई-कचरा आइटम्स के निपटान के लिए नीचे दिए गए टाइम शेड्यूल के अनुसार बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं:

डेट शीट :

नीलामी बनाने/प्रकाशित करने की तारीख	13.07.2026 अपराह्न 07:00 pm बजे
दस्तावेज़ डाउनलोड की तारीख	13.07.2026 अपराह्न 07:00 pm बजे
प्री-क्वालिफिकेशन सबमिशन शुरू होने की तारीख	13.07.2026 अपराह्न 07:00 pm बजे
प्री-क्वालिफिकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख	27.07.2026 मध्याह्न 03:00 pm बजे
प्री-क्वालिफिकेशन असेसमेंट की आखिरी तारीख और समय	05.08.2026 मध्याह्न 03:00 pm बजे
सामग्री का निरीक्षण	07.08.2026 मध्याह्न 03:00 pm बजे
EMD पेमेंट शुरू होने की तारीख	08.08.2026 पूर्वाह्न 09:00 am बजे
EMD पेमेंट की आखिरी तारीख	11.08.2026 अपराह्न 07:00 am बजे
नीलामी शुरू होने की तारीख	12.08.2026 मध्याह्न 03:00 pm बजे
नीलामी समाप्ति तिथि	14.08.2026 मध्याह्न 03:00 pm बजे

यह ऑफ़र केवल “गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GEM)” (<https://gem.gov.in/>) पर ऑनलाइन जमा किए जाएँगे। कोई भी बोली हार्ड कॉपी, फ़ैक्स या ई-मेल या ऐसे किसी और तरीके से स्वीकार नहीं की जाएगी।

1. **बोली का मूल्यांकन** : बोली का मूल्यांकन इस काम के लिए बनाई गई निपटान कमेटी करेगी। बोली उस फ़र्म को दी जाएगी जो सबसे ज़्यादा दर बताएगी और सभी निबंधन और शर्तों को पूरा करेगी।
2. **काम का दायरा** : बोली लगाने वाले की दी जाने वाली सर्विस में कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्मैंटलिंग, डीगॉसिंग, रीसाइक्लिंग/फाइनल डिस्पोज़ल शामिल होना चाहिए।
 - a) कलेक्शन - इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कलेक्शन जिन्हें रीसायकल/डिस्पोज करने की ज़रूरत है।
 - b) ट्रांसपोर्टेशन - इकट्ठा किए गए ई-कचरे को सही जगह पर ट्रांसपोर्ट करना।
 - c) डिस्मैंटलिंग - ई-कचरे को डिस्मैंटल करना।
 - d) डीगॉसिंग - ई-कचरे से निकलने वाले बचे हुए मैग्नेटिक फ़िल्ड को कम करना या खत्म करना।
 - e) रीसाइक्लिंग/फाइनल डिस्पोज़ल: वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स और रॉ मटेरियल को अलग एवं पृथक करना।

3. निबंधन एवं शर्तें:

3.1. बोलीदाताओं को दिए गए प्रोफ़ॉर्मा (Annexure-I) के अनुसार, अलग-अलग नहीं, बल्कि पूरे आइटम के लिए बिना शर्त रेट बताना होगा।

3.2. ई- कचरे से डील करने वाली रजिस्टर्ड फ़र्मों से बोली मंगाई जाती हैं और रजिस्टर्ड फ़र्मों के अलावा दूसरी फ़र्मों से मिली बोली को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोलीदाताओं/ऑथराइज़्ड ई-वेस्ट रीसाइकलर्स को कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, UPS और उसके पेरिफ़ेरल्स, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह के ई-वेस्ट आइटम के कलेक्शन/डिस्पोज़ल के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार से अपने नाम/संस्थान पर मिला प्राधिकरण प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

3.3 बोलीदाता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार या किसी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड ई-वेस्ट का रीसाइकलर/प्रीप्रोसेसर होना चाहिए।

3.4. सभी बिडर्स को E-Waste (Management Rules), 2022 के हिसाब से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल तरीके से डिस्पोज़ल/रीसाइक्लिंग के लिए जारी दिशानिर्देश और उसके बाद भारत सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नोटिफ़ाई किए गए किसी भी दूसरे नोटिफ़िकेशन का पालन करना पक्का करना चाहिए।

3.5 यह कार्यालय बोलीदाताओं को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का अधिकार रखता है। अगर बोलीदाताओं को लगता है कि उचित खरीद प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और/या उनके टेंडर गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो वे GeM पोर्टल के ज़रिए अपना अभ्यावेदन भेज सकते हैं।

3.6 Annexure-II में बताई गई चीज़ें या तो पुरानी या ई-स्क्रेप घोषित कर दी गई हैं। सरकारी दस्तावेज़ों की गोपनीयता को देखते हुए, बताई गई चीज़ों से कुछ पार्ट्स हटा दिए गए होंगे। ये चीज़ें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।

3.7 बोली खुलने की तारीख से 45 दिनों के समय तक एक्सेप्टेंस के लिए वैलिड रहनी चाहिए। इससे कम वैलिडिटी वाले बिड्स को तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा।

3.8. सबसे ज़्यादा मंज़ूर रिस्पॉन्सिव बिडर (H-1) को ऑर्डर मिलने के कुछ दिनों के अंदर **"जैसा है, जहाँ है"** के आधार पर सामान हटा देना चाहिए। इसके लिए उसे कार्यालय के कैशियर के पास वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/बिल्स, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हैदराबाद के नाम पर पूरी रकम जमा करनी होगी। सफल बिडर के कहने पर EMD की रकम को फ़ाइनल पेमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है या तय शर्तों के हिसाब से खराब सामान हटाने के बाद EMD वापस कर दी जाएगी। अगर तय समय में सामान नहीं हटाया जाता है, तो अर्नेस्ट मनी ज़ब्त कर ली जाएगी और इसकी वजह से होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई बोलादाता से की जाएगी।

3.8. अगर ज़रूरी हो, तो होने वाले बिडर्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इस कार्यालय में दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच सामग्री का निरीक्षण ध्यान से करना चाहिए और निरीक्षण के समय संबंधित अधिकारी से सवाल पूछने चाहिए। ऊपर बताए गए निरीक्षण के बाद कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा।

3.9. नीलामी की गई चीज़ों को साइट से हटाने समय इस कार्यालय की मौजूदा संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सफल बोली लगाने वाले या उसके ऑथराइज़्ड वर्कर/सुपरवाइज़र की लापरवाही या हरकत की वजह से किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का कोई नुकसान/क्षति या चोट या पर्सनल एक्सीडेंट होने पर हर्जाना कॉन्ट्रैक्टर को देना होगा।

3.10. सामान/मटीरियल इस कार्यालय के तय अधिकारी की देखरेख में हटाया जाएगा। ऑर्डर मिलने के एक तय समय के अंदर सामान हटाना होगा। आम हालात में समय नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हैदराबाद, सफल/चुने हुए बिडर द्वारा लिखित में देरी के पूरे

कारण बताने पर 2 दिन और बढ़ा सकते हैं। हालांकि, इस कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के पास यह विवेकाधीन अधिकार सुरक्षित है कि यदि अत्यधिक देरी के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो वे आवंटित कार्य आदेश को रद्द कर सकते हैं तथा बयाना जमा राशि (EMD) को जब्त कर सकते हैं।

3.11. सामान/मटीरियल सिर्फ काम के घंटों में ही हटाने की इजाज़त होगी। चुने हुए वेंडर को सभी ई-वेस्ट आइटम खुद ले जाने होंगे, न कि सिर्फ पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट की सुविधा का इंतज़ाम वेंडर खुद करेगा। इस कार्यालय की ऐसे खर्चों के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

3.12 वेंडर को स्टोरेज मीडिया को, जहाँ भी उपलब्ध हो, ऑनसाइट नष्ट करना होगा। किसी भी हालत में, इस बारे में ई-वेस्ट इकट्ठा करने के 30 दिनों के अंदर एक प्रमाणपत्र इस कार्यालय को देना होगा।

3.13 वेंडर साइट पर इक्विपमेंट की डिलीवरी, जिसमें इंस्टॉलेशन सर्विस और कमीशनिंग शामिल है, से जुड़े सभी टैक्स, ड्यूटी, लेवी, इम्पोस्ट, कॉस्ट, चार्ज, लाइसेंस फीस, रोड परमिट वगैरह के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा।

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (आईएस विंग)

अनुलग्नक/Annexure-I

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना, हैदराबाद के कार्यालय से अनुपयोगी/घोषित कबाड़ मर्दों (ई-कचरा मर्दों) की खरीद के लिए बोलियां प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

PROFORMA FOR FURNISHING BIDS FOR PURCHASE OF UNSERVICEABLE/CONDEMNED ITEMS (E-WASTE ITEMS) FROM THE OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), TELANGANA, HYDERABAD

1. फर्म का नाम और पता:

Name & Address of the Firm:

2. सम्पर्क कर्ता का नाम:

Name of the contact Person:

3. टेलीफोन नंबर और ई-मेल □ ईडी:

Telephone Numbers And e-mail Id

4. पैन/टैन संख्या:

PAN/TAN No:

5. कोटेशन:

Quotation:

a. Amount in Rs. -

b. Amount (in words) Rs. -

6. क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त ई-कचरा प्राधिकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है:

Whether copy of e-waste authorization certificate from pollution control board is enclosed

: YES/NO

7. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पंजीकरण का विवरण:

Registration details of Pollution control board:

अनुलग्नक - II

क्रम संख्या	संपत्ति का नाम	अप्रचलित संपत्तियों की संख्या
1	डेस्कटॉप	03
2	लैपटॉप	29
3	प्रिंटर	10
4	ऊपर	01
	कुल	43

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), SAIFABAD,
HYDERABAD – 500004**

No. PAG(AU)TS/ISW/FNo.17/Disposal Of Obsolete Items/

Date:13-07-2026

Notice Inviting Bids for Auction in GeM

Subject: Notice inviting Bids for Auction in GeM for disposal of obsolete IT Assets and E-Waste items.

Bids are invited from Authorized/Registered E-Waste Recyclers/pre- processors of E-waste registered with Central Pollution Control Board, Ministry of Environment & Forests, Govt. Of India or with the State Pollution Control Board (approved by Government of India/State Govt.) for disposal of condemned/obsolete e-Waste items such as Computers, Laptops, Printers, UPS & its Peripherals, Photocopiers, Electronics/Electrical items etc. as mentioned in “Annexure-II” as per the time schedule given below:

Date Sheet:

Auction Creation/Publish Date	13.07.2026 at 07:00 PM
Document Download Date	13.07.2026 at 07:00 PM
Pre-Qualification Submission Start Date	13.07.2026 at 07:00 PM
Pre-Qualification Submission End Date	27.07.2026 at 03:00 PM
Pre-Qualification Assessment End Date and Time	05.08.2026 at 03:00 PM
Inspection of Material	07.08.2026 at 03:00 PM
EMD Payment Start Date	08.08.2026 at 09:00 AM
EMD Payment End Date	11.08.2026 at 07:00 PM
Auction Start Date	12.08.2026 at 03:00 PM
Auction End Date	14.08.2026 at 03:00 PM

The offers shall only be submitted online at “Government e Marketplace (GEM)” (<https://gem.gov.in/>) only. No bid will be accepted by hard copy, fax or e-mail or any other such means.

1. **Evaluation of Bid:** The Evaluation of the Bid will be done by the Disposal Committee constituted for this purpose. The bid will be awarded to the firm who quotes the highest rate and fulfils all the terms and Conditions.
2. **Scope of Work Activity:** Services provided by the bidder should include Collection, Transportation, Dismantling, Degaussing, Recycling/final Disposal.
 - a) Collection - Collection of electronic devices that need to be recycled/disposed.
 - b) Transportation - Transporting the collected e-waste to the desired location.

- c) Dismantling - Dismantling the e waste.
- d) Degaussing - Decreasing or eliminating remnant magnetic field released from e-waste.
- e) Recycling/Final Disposal: disassembly and separation of components and raw materials of waste electronics.

3. Terms & Conditions:

3.1. The Bidders should quote their unconditional rates for whole items and not individually as per the enclosed prescribed Proforma (Annexure-I).

3.2. Bids are invited from the registered firms dealing with E-waste and bids received from the firms other than registered firms will be summarily rejected. The bidders/Authorized E-waste Recyclers shall have to submit the Authorization Certificate obtained from the Govt. of India/State Government in their own name/organization for collection/disposal of E-Waste items for Computers, Laptops, Printers, Scanners, UPS and its peripherals, Electrical/Electronic items etc.

3.3 The bidder must be a registered Recycler/preprocessors of E-waste registered with Central Pollution Control Board (Ministry of Environment & Forest, Government of India) or any State Pollution Control Board.

3.4. All the bidders should be registered with Central Pollution Control Board or State Pollution Control Boards in terms of E-Waste (Management Rules), 2022 and ensure compliance with the guidelines issued by the Govt. for disposal/recycling in an environment friendly manner and any other notifications notified thereafter by the Govt. Of India/State Govt./ Union Territory.

3.5 This Office reserves the right to accept or reject any or all the bidders. The bidders may send his representation through GeM portal in case he/she feels that proper procurement process has not been followed and/or his/her tenders has been rejected wrongly.

3.6 The items mentioned in Annexure-II have been declared either obsolete or e- scrap. Some parts may have been removed from the mentioned items in view of the secrecy of the official documents. The items are available at PAG(Audit) Stores.

3.7 Bids should remain valid for acceptance for a period of 45 days from the date of opening of the Bids. Bids with less validity period will be summarily rejected.

3.8. Materials should be removed by the highest acceptable responsive bidder (H-1) on **“as is where is”** basis within specified number of days from the receipt of order after depositing the full amount with the Cashier of the office in the form of Crossed Bank Draft/Pay Order/Banker's Cheque drawn in favour of the Sr. Audit Officer/Bills, Office of the Principal Accountant General (Audit), Hyderabad. The amount of EMD may be adjusted against the final payment on the request of the successful bidder or EMD shall be returned after the condemned material is removed as per terms & conditions laid down. In case the material is not removed within the prescribed time, the Earnest Money will be forfeited and any loss whatsoever occurring due to this will be recovered from the bidder.

3.8. If required, the inspection of material should be done carefully by the prospective bidders or their representatives in this office premises between 3:00 PM to 4:00 PM and queries raised to the concerned officer at the time of inspection. No further clarifications shall be given after the above inspection.

3.9. No damage should be caused to the existing property of this Office while removing the auctioned articles from the site. Any loss/damage to property or injury or personal accident suffered

by any person due to the negligence or action of the successful bidder or his authorized worker/supervisor will have to be indemnified by the successful contractor.

3.10. Goods/material will be removed under the supervision of designated officer(s) of this office. Materials will have to be removed within a specified time from the receipt of order. No extension of time will be given under ordinary circumstances. Principal Accountant General (Audit), Hyderabad, may however, allow an extension up to another 2 days providing full reasons for causing such a delay is given in writing by the successful/selected bidder. However, the Competent Authority of this Office at its discretion, reserves the Right to cancel the Work Order awarded and forfeit the EMD for the reasons of inordinate delay(s) without a proper explanation of such delays.

3.11. Goods/material will be allowed to be removed only during working hours. The selected vendor will have to take away all e-Waste items and not selectively by arranging the packaging and transport facilities borne by the vendor. This Office does not carry any liability for such expenses.

3.12 The Vendor should carry out onsite destruction of storage media wherever available. In any case, a Certificate to this effect should be provided to this Office within 30 days from collection of e-waste.

3.13 The Vendor will be solely responsible for all the taxes applicable, duties, levies, imposts, costs, charges. License fees, road permits etc. in connection with the delivery of equipment at site including incidental services and commissioning.

Sd/-

Senior Audit Officer (IS Wing)

Annexure-I

**PROFORMA FOR FURNISHING BIDS FOR PURCHASE OF
UNSERVICEABLE/CONDEMNED ITEMS (E-WASTE ITEMS) FROM THE OFFICE OF
THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), TELANGANA, HYDERABAD**

1. Name & Address of the Firm:

2. Name of the contact Person:

3. Telephone Numbers And e-mail Id

4. PAN/TAN No:

5. Quotation:
 - a. Amount in Rs. -
 - b. Amount (in words) Rs. -

6. Whether copy of e-waste authorization certificate from pollution control board is enclosed

: YES/NO

7. Registration details of Pollution control board:

ANNEXURE – II

Sl. No.	Name of the Asset	No. of the Obsolete Assets
1	Desktops	03
2	Laptops	29
3	Printers	10
4	UPS	01
	Total	43